कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया

राज कुमार (बि. शि. से.)
जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया

मो0नं0 :– +918544412208,
Email ID.- deoararia.edn@gmail.com

पत्रांक 436

सेवा में,

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा),
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

अररिया, दिनांक 07/08/21

विषय :– दिनांक 12.07.2021 को हुई काउन्सिलिंग को स्थगित करने के संबंध में।

प्रसंग :– भवदीय पत्रांक 641, दिनांक 07.07.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, रानीगंज के पत्रांक 277 दिनांक 31.07.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम पंचायत बरबन्ना एवं हसनपुर पंचायत पूर्ण रूप से नवगठित नगर पंचायत रानीगंज में सम्मिलित हो गये है तथापि दिनांक 12.07.2021 को पंचायत शिक्षक नियोजन की काउन्सिलिंग उक्त दोनों पंचायतों में पूर्ण हो चूका है। प्रासंगिक पत्र के आलोक में इनकी काउन्सिलिंग अमान्य करते हुए अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण–पत्र वापस करने का अनुरोध किया गया है।

विदित हो कि नगर पंचायत रानीगंज की परामर्शी समिति का गठन नहीं हुआ है तथा नगर पंचायत में समाहित उक्त दोनों पंचायतों में भी परामर्शी समिति गठित नहीं हो सकती है। ऐसे में इनके द्वारा किया गया चयन वैध नहीं हो सकता।

अतः ऐसी परिस्थिति में इन दोनों पंचायतों बरबन्ना एवं हसनपुर का दिनांक 12.07.2021 को, की गयी काउन्सिलिंग के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों द्वारा अपने प्रमाण–पत्रों की मांग की जा रही है ताकि वे अन्यत्र काउन्सिलिंग करा सके। ऐसे में इन अभ्यर्थियों का प्रमाण–पत्र वापस किया जा रहा है तथा भवदीय से मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरांत इन दोनों पंचायत नियोजन इकाईयों में काउन्सिलिंग की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।

विश्वासभाजन

07/8/21

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
अररिया

ज्ञापांक 436 /अररिया, दिनांक 07/08/21

प्रतिलिपि :– संबंधित पंचायत सचिव/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रानीगंज एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, रानीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि आज ही जिले के NIC के पोर्टल पर अपलोड किया जाय।

07/8/21

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
अररिया